

अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत:-

1. अपीलीय अधिकारी	श्री बी. अनंत शर्मा, अपीलीय अधिकारी/ कार्यपालक निदेशक (सी.एम.जी.) (पावरग्रिड) केन्द्रीय कार्यालय, गुरुग्राम.
2. अपीलीय अधिकारी का पता	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय सौदामिनी, प्लॉट नं.-2, सेक्टर-29, गुरुग्राम (हरियाणा)- 122001 ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
3. आवेदक का नाम	ललित कुमार
4. आवेदक का पूरा पता	मकान नं.- एच-28, द्वितीय तल, गली नं - 01, प्रतापनगर, अंधा मुगल, शक्तिनगर, (उत्तरी दिल्ली) दिल्ली- 110007.
5. सूचना अधिकार अधिनियम -2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन करने का दिनांक त माध्यम	31 दिसंबर -2021, पावरग्रिड, केन्द्रीय कार्यालय (गुरुग्राम) स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 31/12/2021 छाया प्रति संलग्न (देखें संलग्नक-01)
6. सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत दी गई फीस का विवरण	भारतीय पोस्टल ऑर्डर नं.51F993525, रू.10/- (देखें संलग्नक-02)
7. लोकसूचना अधिकारी द्वारा आवेदन का उत्तर निर्गत करने का दिनांक	पत्र संदर्भ संख्या:PGCIL/R/2021/M-37 दिनांक:02/02/2022 प्राप्ति दिनांक-11/02/2022 (देखें संलग्नक-02)

मांगी गई सूचना का विवरण जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने के संदर्भित :-

क्रम सं	मांगी गई सूचना का विवरण	जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी का विवरण
1.	'पावरग्रिड' में दिनांक 01 जनवरी 2017 और उसके बाद 30 अप्रैल 2019 तक कितने प्रशिक्षुओं पर्यवेक्षकों को एस-1 ग्रेड, में नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें।	मांगी गई सूचना के अनुरूप जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि पावरग्रिड के स्थान पर मात्र केन्द्रीय कार्यालय की जानकारी भ्रामक और मुख्य विषय पर पर्दा डालने हेतु मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा आंशिक जानकारी उपलब्ध करायी गई है।
2.	'पावरग्रिड' में दिनांक 01 जनवरी 2017 और उसके बाद 30 अप्रैल 2019 तक कितने कामगारों को डब्ल्यू - 3 एवं डब्ल्यू- 4 ग्रेड में नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें।	मांगी गई सूचना के अनुरूप जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि पावरग्रिड के स्थान पर मात्र केन्द्रीय कार्यालय की जानकारी भ्रामक और मुख्य विषय पर पर्दा डालने हेतु मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा आंशिक जानकारी उपलब्ध करायी गई है।
3.	'पावरग्रिड' में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक तक कितने पर्यवेक्षक एस-1 ग्रेड, में भर्ती किए गए हैं और उनमें से कितने पर्यवेक्षकों को नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें।	मांगी गई सूचना के अनुरूप जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि पावरग्रिड के स्थान पर मात्र केन्द्रीय कार्यालय की जानकारी भ्रामक और मुख्य विषय पर पर्दा डालने हेतु मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा आंशिक जानकारी उपलब्ध करायी गई है।
4.	'पावरग्रिड' में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक तक कितने कामगार डब्ल्यू - 3 एवं डब्ल्यू- 4 ग्रेड में भर्ती	मांगी गई सूचना के अनुरूप जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि पावरग्रिड के स्थान पर मात्र केन्द्रीय कार्यालय की

ललित कुमार

	किए गए हैं और उनमें से कितने कामगारों को नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें।	जानकारी भ्रामक और मुख्य विषय पर पर्दा डालने हेतु मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा आंशिक जानकारी उपलब्ध करायी गई है।
5.	के 'पावरग्रिड' मानव संसाधन विभाग में कार्यरत वरिष्ठ महाप्रबंधक कारपोरेट द्वारा दिनांक 2019/03/14 :निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन सन्दर्भ:सं.औ./सं.मा./का.के :वे दिनांक2019/03/14: की गोपनीयता की संवैधानिकता का प्रमाण उपलब्ध करावें  पावरग्रिड के किस नियमान्तर्गत का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत गोपनीय रूप में पावरग्रिड, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महा प्रबंधक के हस्ताक्षरित अंतर कार्यालय ज्ञापन दिनांक निकाला गया, सूचना मय प्रमाणिक दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें।	मांगी गई सूचना आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 2(f) के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं है मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा मुख्य विषय पर पर्दा डालने हेतु ऐसा किया है।
6.	'पावरग्रिड' के मानव संसाधन विभाग में कार्यरत वरिष्ठ महाप्रबंधक कारपोरेट द्वारा दिनांक: 14/03/2019 निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन सन्दर्भ: के.का./मा.सं./औ.सं.वे दिनांक:14/03/2019 का डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज व ऊर्जा मंत्रालय से अनुमोदनार्थ अनुमोदित नोट के प्रमाणिक दस्तावेज की छायाप्रति उपलब्ध करावें।	मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना के अनुरूप जानकारी से संदर्भित प्रमाणित दस्तावेज नहीं दिए गए हैं।
7.	प्रमाण उपलब्ध करावें कि दिनांक 14 मार्च 2019 को वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन कोरपोरेट द्वारा निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन, पूर्व न्यायमूर्ति श्रीमान सतीश चन्द्रा के नेतृत्व में बनी समिती द्वारा डीको दी गई तीसरी .ई.पी. रिपोर्ट के बिन्दु .सी.आर.पी3.2 में वर्णित एफोर्डेबिलिटी (affordability) के प्रतिकूल नहीं है।	मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना के अनुरूप जानकारी से संदर्भित प्रमाणित दस्तावेज भी नहीं दिए गए हैं।
8.	प्रमाणित गणना उपलब्ध करावें कि दिनांक 14 मार्च 2019 को वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन कारपोरेट द्वारा निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन सन्दर्भ: के.का./मा.सं./औ.सं.वे दिनांक:14/03/2019 के प्रभाव से लगभग 35 वर्षों की अवधि में दिनांक: 01,01.2017 के बाद और 30.04 2019 तक एक वर्षीय प्रशिक्षण के उपरांत नियमित किये गए अकार्यपालकों (एस-1 ग्रेड, डब्ल्यू - 3 एवं डब्ल्यू- 4 ग्रेड) को असंवैधानिक रूप से की गई विशेष एकमुश्त मूल वेतन वृद्धि से 'पावरग्रिड' पर अतिरिक्त वित्तीय भार का गणनात्मक प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।	मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना के अनुरूप जानकारी से संदर्भित प्रमाणित दस्तावेज भी नहीं दिए गए हैं।

**अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने का कारण :-** संलग्नक-01 में दिये गये विवरणानुसार मुख्य सूचना अधिकारी पावरग्रिड केंद्रीय कार्यालय, "सौदामिनी", प्लॉट नं.- 2, सेक्टर -29, गुरुग्राम (हरियाणा)-122001 को सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत 31 दिसंबर -2021 में दिये गये विवरणानुसार को आवेदन किया गया, जिसके उत्तर स्वरूप मुख्य महाप्रबंधक/मुख्य सूचना अधिकारी (पावरग्रिड) का पत्र संदर्भ संख्या: PGCIL/R/2021/M-37 दिनांक:02/02/2022 का पत्र संलग्नक - 02 में दिये गये उत्तर स्वरूप दिनांक: 11/02/2022 को प्राप्त हुआ। इस पत्र में दी गयी सूचना पावरग्रिड के स्थान पर मात्र केन्द्रीय कार्यालय, गुरुग्राम की आंशिक सूचना ही दी गई है, जो कि हस्ताक्षरित भी नहीं है, दी गई सूचना आधारहीन, भ्रामक, मनगणत मूल विषय वस्तु से हटकर एवं तथ्यों पर पर्दा डालने की मुख्य महाप्रबंधक/ मुख्य सूचना

ललित कुमार

अधिकारी (पावरग्रिड) केंद्रीय कार्यालय, गुरुग्राम द्वारा कोशिश की गई है और मांगी गई सूचना के अनुरूप प्रमाणित दस्तावेज की छायाप्रति भी नहीं दी गई है।

मान्यवर जी से अनुरोध है कि कृपया जल्द से जल्द अधोहस्ताक्षरी को वांछित जानकारी उपलब्ध करावें और साथ ही साथ अधोहस्ताक्षरी को भ्रामक जानकारी देने के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / मुख्य महाप्रबंधक (पावरग्रिड) केंद्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का श्रम करावें।

सधन्यवाद सहित,

दिनांक: बुधवार, 23 फरवरी 2022.

भवदीय

ललित कुमार

(ललित कुमार)



सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन.

प्रेषक: ललित कुमार,

मकान नं. एच -28, द्वितीय तल, गली नं.-01,  
प्रतापनगर, अंधा मुगल, शक्ति नगर (उत्तरी दिल्ली),  
दिल्ली- 110007.

प्रेषित: मुख्य जन सूचना अधिकारी, (सी.पी आई.ओ.)

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
सौदामिनी, प्लॉट नं. - 02, सेक्टर -29,  
गुरुग्राम (हरियाणा) - 121002.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम -2005, की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र |  
आदरणीय महोदय,

- 1) 'पावरग्रिड' में दिनांक 01जनवरी 2017 और उसके बाद 30 अप्रैल 2019 तक कितने प्रशिक्षुओं पर्यवेक्षकों को एस-1 ग्रेड, में नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें |
- 2) 'पावरग्रिड' में दिनांक 01जनवरी 2017 और उसके बाद 30 अप्रैल 2019 तक कितने कामगारों को डब्ल्यू - 3 एवं डब्ल्यू-4 ग्रेड में नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें |
- 3) 'पावरग्रिड' में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक तक कितने पर्यवेक्षक एस-1 ग्रेड, में भर्ती किए गए हैं और उनमें से कितने पर्यवेक्षकों को नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें |
- 4) 'पावरग्रिड' में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक तक कितने कामगार डब्ल्यू - 3 एवं डब्ल्यू- 4 ग्रेड में भर्ती किए गए हैं और उनमें से कितने कामगारों को नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें |
- 5) 'पावरग्रिड' के मानव संसाधन विभाग में कार्यरत वरिष्ठ महाप्रबंधक कारपोरेट द्वारा दिनांक: 14/03/2019 निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन सन्दर्भ: के.का./मा.सं./औ.सं.वे दिनांक:14/03/2019 की गोपनीयता की संवैधानिकता का प्रमाण उपलब्ध करावें | पावरग्रिड के किस नियमान्तर्गत का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत गोपनीय रूप में पावरग्रिड, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महा प्रबंधक के हस्ताक्षरित अंतर कार्यालय ज्ञापन दिनांक निकाला गया, सूचना मय प्रमाणिक दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें।
- 6) 'पावरग्रिड' के मानव संसाधन विभाग में कार्यरत वरिष्ठ महाप्रबंधक कारपोरेट द्वारा दिनांक: 14/03/2019 निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन सन्दर्भ: के.का./मा.सं./औ.सं.वे दिनांक:14/03/2019 का डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज व ऊर्जा मंत्रालय से अनुमोदनार्थ अनुमोदित नोट के प्रमाणिक दस्तावेज की छायाप्रति उपलब्ध करावें |
- 7) प्रमाण उपलब्ध करावें कि दिनांक 14 मार्च 2019 को वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन कोरपोरेट द्वारा निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन, पूर्व न्यायमूर्ति श्रीमान सतीश चन्द्रा के नेतृत्व में बनी समिती द्वारा डी.पी.ई. को दी गई तीसरी पी.आर.सी. रिपोर्ट के विन्दु 3.2 में वर्णित एफोर्डेबिलिटी (affordability) के प्रतिकूल नहीं है |

ललित कुमार

8) प्रमाणित गणना उपलब्ध करावें कि दिनांक 14 मार्च 2019 को वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन कारपोरेट द्वारा निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन सन्दर्भ: के.का./मा.सं./औ.सं.वे दिनांक:14/03/2019 के प्रभाव से लगभग 35 वर्षों की अवधि में दिनांक: 01.01.2017 के बाद और 30.04 2019 तक एक वर्षीय प्रशिक्षण के उपरांत नियमित किये गए अकार्यपालकों (एस-1 ग्रेड, डब्ल्यू - 3 एवं डब्ल्यू- 4 ग्रेड) को असंवैधानिक रूप से की गई विशेष एकमुश्त मूल वेतन वृद्धि से 'पावरग्रेड' पर अतिरिक्त वित्तीय भार का गणनात्मक प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें |

10/- रुपये का IPO/नगद 51F 993525 इस पत्र के साथ आरटीआई <sup>फीस</sup> के रूप में संलग्न है |


सधन्यवाद सहित,

भवदीय

ललित कुमार

(ललित कुमार)

दिनांक: शुक्रवार, 31 दिसंबर 2021.



51F 993525

POSTMASTER

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

Debit - 110007

Major, Hindustan Machine Tools Ltd.  
Bombay, India

Guarantee

AT THE POST OFFICE AT

POSTAGE STAMPS

₹ 10.00

SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.  
भेजक को अपने नाम और पता यहाँ भरना है।  
भारतीय आयोग द्वारा ₹ 1.00 का आयोग




THE SUM OF THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

of India Ltd.

PAY TO Order of Hindustan Machine Tools Ltd.


THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

INDIAN POSTAL ORDER



NOT NEGOTIABLE

Handwritten signature/initials



संलग्न-02



सूचना  
का अधिकार

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005  
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदागिनी', प्लॉट नं. 2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007  
Corporate Centre, 'Saudagini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

पावरग्रिड  
POWERGRID

PGCIL/R/2021/M-37

दिनांक: 2 February, 2022

Shri Lalit Kumar  
House No. 28, 2nd floor, Gall NO. 1,  
Pratap Nagar, Andha Mughal,  
Shakti Nagar (North Delhi) Delhi-110 007

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 4 January, 2022 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुसंधान का  
मंदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर में सन्तुष्ट न हों, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति  
के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत  
केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा  
कार्यपालक निदेशक (सी. एम.) एवं अपील प्राधिकारी  
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
सौदागिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122007, हरियाणा  
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in  
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

(जसबीर सिंह)  
02/02/22

संलग्नक (के. आ.) एवं के.सो.सु.अधिकारी

वेबसाइट ID: [cpio.cc@powergrid.co.in](mailto:cpio.cc@powergrid.co.in)

अनुलग्नक-1

Sl.No.	Information sought:	Reply:
Query 1	पावरग्रिड में दिनांक 01 जनवरी 2017 और उसके बाद 30 अप्रैल 2019 तक कितने प्रशिक्षुओं पर्यवेक्षकों को एस-1 ग्रेड में नियमित किया गया है प्रमाणित ब्योरा उपलब्ध कराये।	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 01 जनवरी 2017 से 30 अप्रैल 2019 तक, पावरग्रिड केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में कुल 10 पर्यवेक्षक प्रशिक्षुओं को नियमित किया गया है।
Query 2	पावरग्रिड में दिनांक 01 जनवरी 2017 और उसके बाद 30 अप्रैल 2019 तक कितने कामगारों को डब्ल्यू-3 एवं डब्ल्यू-4 ग्रेड में नियमित किया गया है प्रमाणित ब्योरा उपलब्ध कराये।	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 01 जनवरी 2017 से 30 अप्रैल 2019 तक, पावरग्रिड केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी को डब्ल्यू-3 ग्रेड में नियमित नहीं किया गया। पावरग्रिड में डब्ल्यू-4 ग्रेड पर कर्मचारी रिक्रूटमेंट के माध्यम से रेगुलर ग्रेड में आते हैं व तत्पश्चात प्रोबेशन अवधि पूरी करने पर उनकी नियुक्ति पर पुष्टि की जाती है।
Query 3	पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक (आवेदन की तारीख-31.12.2021) तक कितने पर्यवेक्षक एस-1 ग्रेड में भर्ती किया है और उनमें से कितने पर्यवेक्षकों को नियमित किया गया है प्रमाणित ब्योरा उपलब्ध कराएं।	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक (आवेदन की तारीख-31.12.2021) तक केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में 15 पर्यवेक्षक प्रशिक्षुओं को भर्ती किया है और उनमें से 15 को नियमित किया गया है।
Query 4	पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक (आवेदन की तारीख-31.12.2021) तक कितने कामगारों को डब्ल्यू-3 एवं डब्ल्यू-4 ग्रेड भर्ती किया है और उनमें से कितने कामगारों को नियमित किया गया है प्रमाणित ब्योरा उपलब्ध कराएं।	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक (आवेदन की तारीख-31.12.2021) तक केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में, डब्ल्यू-3 ग्रेड में 0 और डब्ल्यू-4 ग्रेड में 8 कामगारों को भर्ती किया है। इनमें से 06 कामगारों की नियुक्ति पर पुष्टि की जा चुकी है।
Query 5	पावरग्रिड के मानव संसाधन विभाग से कारपोरेट वरिष्ठ महाप्रबंधक कारपोरेट द्वारा दिनांक 14/03/2019 निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन संदर्भ: कं.का./मा.सं./ओ.सं.वे दिनांक: 14/03/2019 की गोपनीयता की संवैधानिकता का प्रमाण उपलब्ध करावे।	मांगा गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(f) के अंतर्गत नहीं आता।
Query 8	पावरग्रिड के किस नियमावली के तहत कारपोरेट वरिष्ठ महाप्रबंधक के हस्ताक्षरित अंतर कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14/03/2019 का प्रभाव से लगभग 35 वर्षों की अवधि में दिनांक 01.01.2017 के बाद और 30.04.2019 तक, एक वर्षीय प्रशिक्षण के अर्थात् नियमित किये गए	2617 वेतन संशोधन के भाग के रूप में जेटीटी, डीटी/जेओटी और डब्ल्यू4 कर्मचारियों को विशेष एकमुश्त छूट दी गई थी, जो कमश: 07/03/2019 तक जारी किए गए भर्ती विज्ञापनों/रोजगार कार्यालयों में अधिसूचनाओं के खिलाफ नियमितीकरण/शामिल हुए थे।  (Special One-Time Dispensation was extended to JTTs, DTs / JOTs and W4 employees, who joined



	अकार्यपालको (एस 1 गेड, डब्ल्यू -3 एवं डब्ल्यू -4 गेड) को असंवैधानिक रूप से की गई विशेष एकमुश्त मूल वेतन वृद्धि से पावरग्रिड पर अतिरिक्त वित्तिय भार का गणनात्मक दस्तावेज़ उपलब्ध करावें।	against recruitment advertisements / notification in employment exchanges issued till 07.03.2019, from the date of their regularization /joining respectively, as part of 2017 Pay Revision.)
Query 6	पावरग्रिड के मानव संसाधन विभाग से कार्यरत वरिष्ठ महाप्रबंधक कारपोरेट द्वारा दिनांक 14.03.2019 निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन संदर्भ : के.का./मा.सं./ओ.सं.वे दिनांक: 14/03/2019 का डिपार्टमेंट आफ पब्लिक एंटरप्राइजेस व उर्जा मंत्रालय से अनुमोदित नोट के प्रमाणित दस्तावेज़ की छायाप्रति उपलब्ध करावे।	ऐसा कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है।
Query 7	प्रमाण उपलब्ध कराये कि दिनांक 14 मार्च 2019 को वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन कोरपोरेट द्वारा निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन, पूर्व न्यायमूर्ति श्रीमान सतीश चंद्रा के नेतृत्व में बनी समिति द्वारा डी.पी.ई. को दी गई तीसरी पी.आर.सी. रिपोर्ट के बिंदु 3.2 में वर्णित एफोर्डेबिलिटी के प्रतिकूल नहीं है।	3rd Pay Revision Committee (PRC) की रिपोर्ट, पावरग्रिड पर लागू (applicable) नहीं है।

\*\*\*\*\*

*Handwritten mark*

"Speed Post"

प्रेषित:

श्री बी. अनंत शर्मा, अपीलीय अधिकारी/ कार्यपालक निदेशक (सी.एम.जी.)  
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, केंद्रीय कार्यालय,  
सौदागिनी, प्लॉट नं.-2, सेक्टर-29, गुरुग्राम (हरियाणा)- 122001.

प्रेषक:

ललित कुमार

मकान नं.- एच-28,, द्वितीय तल, गली नं -01,

प्रतापनगर, अंधा मुसल, शक्तिनगर, (उत्तरी दिल्ली),

दिल्ली- 110007.

